न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह
(R.A.S)

प्रकरण संख्याः- 53/2013 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00025),

उनवान

पूरन पुत्र कन्हैया जाति फौजदार निवासी ग्राम बेढम तहसील डीग –मृतक

1. बृजेन्द्र सिंह
2. रामकिशन
3. करन सिंह
4. मान सिंह
} पुत्रगण पूरन

5. सौरभ आयु 14 साल
6. गौरव आयु 8 साल
} पुत्रगण राजेन्द्र सिंह

7. रजनी आयु 17 साल
8. नगीना आयु 16 साल
} पुत्रियां राजेन्द्र सिंह खुद

(5–8) } नावा.जरिये वली सरपरस्त रश्मि पुत्री राजेन्द्र सिंह वहिन खुद

9. रश्मि पुत्री राजेन्द्र सिंह जातियान फौजदार नि0ग्राम बेढम तहसील व जिला डीग(राज0)

–वादीगण

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र ग्यासी पुत्र रामस्वरूप
2. रामजीलाल पुत्र ग्यासी –मृतक

1/1. श्यामसुन्दर पुत्र रामजीलाल

1/2. दुलारी पत्नी रामजीलाल

3. समय सिंह पुत्र थान सिंह
4. प्रेमवती पत्नी थान सिंह –मृतक

(1–4) } जातियान फौजदार नि0 ग्राम बेढम तहसील व जिला डीग

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग
6. पंजाब नैशनल बैंक शाखा डीग जरिये शाखा प्रबंधक
7. हरवीर
8. सतवीर
} पुत्रगण घंटी

9. मथुरी
10. गोलो उर्फ कल्लो
11. पूरनदेई उर्फ इन्द्रवती
} पुत्रियां घंटी

(7–11) } वारिस व काबिज जायदाद असरफी पुत्री ग्यासी नि0 ग्राम नगला देविया तहसील गोबर्धन जिला मथुरा(उ.प्र.)

12. भेदीराम पुत्र काशीराम
13. राजवती पुत्री काशीराम
} वारिस व काबिज जायदाद रेशम पुत्री रामस्वरूप

जातियान जाट नि0 ग्राम कौथरा तहसील गोबर्धन जिला मथुरा(उ.प्र.) –प्रति0

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांक 30.04.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19, 671/0.29, वाके ग्राम डभारा तहसील डीग में स्थित है। बन्दोवस्त हाल में उक्त विवादित नवीन नम्बरान साविक खसरा नम्बरान 154/1–13, 92/2–5, 415/1–5 मिन, 419/1–5मिन वाके ग्राम डभारा तहसील डीग के बदले में बनाया गया है जो वाहिद रूप से वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिन पर वादी आज भी सालिम हिस्से पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा मौके पर भी है। प्रति0 संख्या 1 व 2 के बाबा तथा प्रति0 संख्या 3 के परबाबा व प्रति0 संख्या 4 ददिया ससुर रामस्वरूप का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी किस्म का नहीं था और ना ही विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर उक्त रामस्वरूप का कब्जा काश्त था और ना ही उक्त रामस्वरूप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ग्यासी कभी भी विवादित आराजी पर कब्ज काश्त रहा और ना ही ग्यासी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र प्रति0 संख्या 1 व 2 व प्रति0 संख्या 3 व 4 के पिता व पति थान सिंह का कभी कब्जा काश्त रहा है और ना ही प्रति0 संख्या 3 व 4 के पिता एवं पति थान सिंह की मृत्यु के बाद से प्रति0 संख्या 3 व 4 का कोई कब्जा काश्त है और ना कभी पहले था। प्रति0 संख्या 1 व 2 के बाबा तथा प्रति0 संख्या 3 के परबाबा व प्रति0 संख्या 4 के ददिया ससुर रामस्वरूप पुत्र नन्दन द्वारा गलत तरीके पर दौराने बन्दोवस्त विभाग से साजकर विवादित आराजी के हि0 1/2 पर अपने नाम इन्द्राज दर्ज करा दिया जबकि विवादित आराजी के हि0 1/2 पर. उक्त रामस्वरूप पुत्र नन्दर का कोई कब्जा काश्त नहीं था और ना उसके वारिसान प्रति0 संख्या 1 लगायत 4 का अब है।बन्दोवस्त हाल में मुताविक साविक विवादित आराजी वाहिद रूप से वादी के पक्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन गलत तरीके पर साबिक रिकार्ड विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 के हिस्से 1/2 का वादी को तथा हि.1/2 का प्रति0 संख्या 1 व 2 के बाबा तथा प्रति0 संख्या 3 के परबाबा व प्रति0 संख्या 4 के ददिया ससुर के नाम इन्द्राज दर्ज कर दिया है। जबकि बन्दोवस्त विभाग को दौराने बन्दोवस्त साविक रिकार्ड के अनुसार ही इन्द्राज दौहराने होते है। इसलिए बन्दोवस्त हाल में किये गये उक्त गलत इन्द्राज काश्त वहक रामस्वरूप पुत्र नन्दन हि0 1/2 को वादीगण कलमजन कराकर सही व दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19, 671/0.29,वाके ग्राम डभारा तहसील डीग में स्थित है के वादीगण वाहिद यानि सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज काश्त वह रामस्वरूप पुत्र नन्दन बाबा प्रति0 संख्या 1 व 2 तथा परबाबा एवं ददिया ससुर प्रति0 संख्या 3 व 4 को हि0 1/2 का जो दर्ज किया जा रहा है तथा वातिल एवं बेअसर करार दिया जाकर काबिले कलमजन फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.03. 2015 को प्रति0 संख्या 1,3,4 ने जबाव पेश किया गया। दिनांक 12.10.2015 को वकील वादी ने वादी का साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 23.02.2017 को वादी विजेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पेश किया। दिनांक 07.12.2017 को प्रति0 संख्या 2/1 व 2/2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 21.02.2018 को वादी बृजेन्द्र सिंह के पीडब्ल्यू–1 बयान पंजीबद्व किये गये। दिनांक 08.09.2019 को वकील वादीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 05.01.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. को स्वीकार किया गया। दिनांक 09.05.2022 को प्रति0 संख्या 7 लगायत 12 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में गई। प्रति0 संख्या 13 व 14 को जबाव हेतु समय दिया गया। दिनांक 16.12.2022 को प्रति0 संख्या 13,14 का जबाव बंद किया गया। दिनांक 11.02.2023 को तनकीयात कायम की गई। दिनांक 09.01.2024 को साक्ष्य वादीगण बद की गई। दिनांक 19.03.2024 को साक्ष्य प्रति0 में प्रति0 संख्या 1 का ापथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 26.04.2024 को साक्ष्य प्रति0 में डीडब्ल्यू–1 अमर सिंह के बयान पंजीबद्व किये गये। दिनांक 15.05.2024 को साक्ष्य प्रति0 में समय सिंह पुत्र थान सिंह के बयान पंजीबद्व किये जाकर साक्ष्य प्रति0 बंद की जाकर दावे को बहस हेतु रखा गया।

दिनांक 16.04.2025 को दावे पर बहस उभय पक्षकार सुनी गई।

हमने वादी के वादपत्र, प्रतिवादी संख्या 1,3,4 के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू–1 साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू–1 बृजेन्द्र सिंह पुत्र पूरन सिंह, गवाह साक्ष्य प्रति0 डीडब्ल्यू–1 अमर सिंह पुत्र ग्यासी,

प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071 हाल खसरा नम्बरान 53/0.19, 415/0.44, 661/0.23, 666/0.19, 671/0.29 पूरन पुत्र कन्हैया निस्फ रामस्वरूप पुत्र नन्दन निस्फ कॉम फौजदार सा0बेढम खातेदार रहिन हि0 पूरन का पीएनबी शाखा डीग मुर्तहिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रदर्श–4, भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 53/0.19 साविक खसरा नम्बर 154 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 415 रकबा 0.44 साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 2 वीघा 5 विस्वा,हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 0.19 साविक खसरा नम्बर 415 मिन रकबा 1 वीघा 8 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 671/0.29 साविक खसरा नम्बर 419मिन रकबा 1 वीघा 5 विस्वा से बनना प्रदर्शित है। हाल खसरा नम्बर 661/0.23 साविक खसरा नम्बर 418 मिन 2 वीघा 19 विस्वा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्बत 2022 से 2025 वाके ग्राम ऊमरा में साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 2 वीघा 5 विस्वा,साविक खसरा नम्बर 154 रकबा 1वीघा 13 विस्वा,साविक खसरा नम्बर 415 मिन 1 वीघा 8 विस्वा,साविक खसरा नम्बर 419 मिन 1 वीघा 5 विस्वा पूरन पुत्र कन्हैया कॉम फौजदार साकिन बेढम खातेदार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–3,जमाबन्दी सम्बत 2022 से 2025 वाके ग्राम ऊमरा के अनुसार साविक खसरा नम्बर 418मिन रकबा 2 वीघा 19 विस्वा पूरन पुत्र कन्हैया व रामस्वरूप पुत्र नन्दन कॉम फौजदार साकिन बेढम वाहिस्सा बरावर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19 कमलेश उर्फ रामवीरी पुत्रियान पूरन हि0 8/9 सौरव,गौरव पि. राजेन्द्र,रश्मि,रजनी,नगीना हि0 1/9 दर हि0 1/2 कॉम फौजदार सा.देह खातेदार निस्फ समय पुत्र थान सिंह हि0 1/16 अमर सिंह रामजीलाल पिस0 ग्यासीराम वहि0 बरा0 1/8 हरवीर सतवीर पिस. घंटी मथुरी गोलो उर्फ कल्लो पूरनदेई उर्फ इन्द्रवती पुत्रियांन घंटी वाहि0 बरावर 1/16 मेदीराम पुत्र काशीराम, रामवती पुत्री काशीराम वाहि0 बरावर 1/4 कॉम फौजदार सा. बेढम खातेदार रहिन हि0 पूरन का पीएनबी शाखा डीग मुर्तहिन दर्ज है।

प्रदर्श–6,नामा0 संख्या 457 वाके ग्राम ऊमरा सम्बत 2072–2075 दिनांक 06.05.2013 खसरा नम्बर 53 किता–5 जिसमें रामस्वरूप पुत्र नन्दन निस्फ कॉम फौजदार सा0बेढम खातेदार बादी बदस्तूर की प्रबिष्टियों को रामस्वरूप के मृतक होने पर जरिये विरासत समय सिंह पुत्र थान सिंह हि0 1/16 अमर सिंह रामजीलाल पिस0 ग्यासीराम बहि0 बरावर 1/8 हरवीर सतवीर पिस0 घंटी मथुरी गोलो उर्फ कल्लो पूरनदेई उर्फ इन्द्रावती पुत्रियांन घंटी वाहि0 बरावर हि0 1/16 मेदीराम पुत्र काशीराम रामवती पुत्री काशीराम वाहि0 बरावर 1/4 कॉम फौजदार सा0बेढम खातेदार वाकी बदस्तूर दर्ज किया गया है।

प्रदर्श–7,नकल मिसल हकीयत सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 53/19, 415/0. 44, 666/0.19, 671/0.29 पूरन वल्द कन्हैया कॉम फौजदार सा. बेढम खातेदार दर्ज है एवं हाल खसरा नम्बर 661/0.23 पूरन वल्द कन्हैया रामस्वरूप वल्द नन्दन कॉम फौजदार सा0 बेढम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 80 पर दर्ज है हाल खसरा नम्बर 661/0.23 खाता संख्या 81 पर पूरन वल्द कन्हैया रामस्वरूप वल्द नन्दन दर्ज है।

प्रदर्श–8, जमाबन्दी सम्बत 2044 से 2047 वाके ग्राम ऊमरा हाल खसरा नम्बर 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 पूरन वल्द कन्हैया कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार दर्ज है। जिसका हाल खाता संख्या 67 है, हाल खसरा नम्बर 661/0.23 पूरन वल्द कन्हैया रामस्वरूप वल्द नन्दन कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार हाल खाता संख्या 68 दर्ज है।

प्रदर्श–9,जमाबन्दी सम्बत 2048 से 2051 वाके ग्राम ऊमरा खाता संख्या 76 पर खसरा नम्बर 53/0.19,415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 पूरन पुत्र कन्हैया, रामस्वरूप पुत्र नन्दन कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 75 पर खसरा नम्बर 661/0.23 पूरन पुत्र कन्हैया कॉम फौजदार सा0 बेढम खातेदार निस्फ रामस्वरूप पुत्र नन्दन कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार निस्फ दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया एवं तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गई:–

तनकी संख्या:–1, आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र के मुताविक दादरसी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्बत 2068 से 2071 हाल खसरा नम्बरान 53/0.19, 415/0.44, 661/0.23, 666/0.19, 671/0.29 पूरन पुत्र कन्हैया निरफ रामस्वरूप पुत्र नन्दन निस्फ कॉम फौजदार सा0 बेढम खातेदार रहिन हि0 पूरन का पीएनबी शाखा डीग मुर्तहिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 53/0.19,415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 कमलेश, विमलेश उर्फ रामवीरी पुत्रियान पूरन हि0 8/9 सौरव,गौरव पि. राजेन्द्र,रश्मि,रजनी,नगीना हि0 1/9दर हि0 1/2 कॉम फौजदार सा.देह खातेदार निस्फ समय पुत्र थान सिंह हि0 1/16 अमर सिंह रामजीलाल पिस0 ग्यासीराम वहि0 बरा0 1/8 हरवीर सतवीर पिस. घंटी मथुरी गोलो उर्फ कल्लो पूरनदेई उर्फ इन्द्रवती पुत्रियांन घंटी वाहि0 बरावर 1/16 मेदीराम पुत्र काशीराम, रामवती पुत्री काशीराम वाहि0 बरावर 1/4 कॉम फौजदार सा. बेढम खातेदार रहिन हि0 पूरन का पीएनबी शाखा डीग मुर्तहिन दर्ज है।

प्रदर्श–6,नामा0 संख्या 457 वाके ग्राम ऊमरा सम्बत 2072–2075 दिनांक 06.05.2013 खसरा नम्बर 53 किता–5 जिसमें रामस्वरूप पुत्र नन्दन निस्फ कॉम फौजदार सा0बेढम खातेदार बादी बदस्तूर की प्रबिष्टियों को रामस्वरूप के मृतक होने पर जरिये विरासत समय सिंह पुत्र थान सिंह हि0 1/16 अमर सिंह रामजीलाल पिस0 ग्यासीराम बहि0 बरावर 1/8 हरवीर सतवीर पिस0 घंटी मथुरी गोलो उर्फ कल्लो पूरनदेई उर्फ इन्द्रावती पुत्रियांन घंटी वाहि0 बरावर हि0 1/16 मेदीराम पुत्र काशीराम रामवती पुत्री काशीराम वाहि0 बरावर 1/4 कॉम फौजदार सा0बेढम खातेदार वाकी बदस्तूर दर्ज किया गया है।

प्रदर्श–4, भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 53/0.19 साविक खसरा नम्बर 154 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 415 रकबा 0.44 साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 2 वीघा 5 विस्वा,हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 0.19 साविक खसरा नम्बर 415 मिन रकबा 1 वीघा 8 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 671/0.29 साविक खसरा नम्बर 419मिन रकबा 1 वीघा 5 विस्वा से बनना प्रदर्शित है। हाल खसरा नम्बर 661/0.23 साविक खसरा नम्बर 418मिन 2 वीघा 19 विस्वा से बनना प्रदर्शित है।

प्रदर्श–7,नकल मिसल हकीयत सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 पूरन वल्द कन्हैया कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार दर्ज है एवं हाल खसरा नम्बर 661/0.23 पूरन वल्द कन्हैया रामस्वरूप वल्द नन्दन कॉम फौजदार सा0 बेढम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 80 पर दर्ज है हाल खसरा नम्बर 661/0.23 खाता संख्या 81 पर पूरन वल्द कन्हैया रामस्वरूप वल्द नन्दन दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–8, जमाबन्दी सम्बत 2044 से 2047 वाके ग्राम ऊमरा हाल खसरा नम्बर 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 पूरन वल्द कन्हैया कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार दर्ज है। जिसका हाल खाता संख्या 67 है, हाल खसरा नम्बर 661/0.23 पूरन वल्द कन्हैया रामस्वरूप वल्द नन्दन कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार हाल खाता संख्या 68 दर्ज है।

प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्बत 2022 से 2025 वाके ग्राम ऊमरा में साविक खसरा नम्बर 92 रकबा 2 वीघा 5 विस्वा,साविक खसरा नम्बर 154 रकबा 1वीघा 13 विस्वा,साविक खसरा नम्बर 415 मिन 1 वीघा 8 विस्वा,साविक खसरा नम्बर 419मिन 1 वीघा 5 विस्वा पूरन पुत्र कन्हैया कॉम फौजदार साकिन बेढम खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–3,जमाबन्दी सम्बत 2022 से 2025 वाके ग्राम ऊमरा के अनुसार साविक खसरा नम्बर 418मिन रकबा 2 वीघा 19 विस्वा पूरन पुत्र कन्हैया व रामस्वरूप पुत्र नन्दन कॉम फौजदार साकिन बेढम वाहिस्सा बरावर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–9,जमाबन्दी सम्बत 2048 से 2051 वाके ग्राम ऊमरा खाता संख्या 76 पर खसरा नम्बर 53/0.19,415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 पूरन पुत्र कन्हैया रामस्वरूप पुत्र नन्दन कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 75 पर खसरा नम्बर 661/0.23 पूरन पुत्र कन्हैया कॉम फौजदार सा0बेढम खातेदार निस्फ रामस्वरूप पुत्र नन्दन कॉम फौजदार सा.बेढम खातेदार निस्फ दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड की विवेचना करने पर प्रदर्श–1,प्रदर्श–5,प्रदर्श–6,प्रदर्श–9 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो पूरन पुत्र कन्हैया निस्फ रामस्वरूप पुत्र नन्दन निस्फ पूरन व रामस्वरूप के मृतक हो जाने पर वारिसान के रूप में हिस्से अनुसार हाल खसरा नम्बर 53, 415, 661, 666,671 पर दर्ज हुए है। जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती की स्वघोषणा का दावा वादीगण ने साविक रिकार्ड के आधार पर किया है। उक्त हाल खसरा नम्बर के साविक खसरा नम्बर 154 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा,92 रकबा 2 वीघा 5 विस्वा, 415 मिन रकबा 1 वीघा 8 विस्वा, 419 मिन रकबा 1 वीघा 5 विस्वा, 418मिन रकबा 2 वीघा 19 विस्वा के साविक रिकार्ड जो प्रदर्श–4,प्रदर्श–7, प्रदर्श–8,प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 पर है। हाल खसरा नम्बर 53/0.19,415/0.44,666/0.19,671/0. 29 जिनके साविक खसरा नम्बर 154/1वीघा 13 विस्वा, 92/2वीघा 5 विस्वा, 415मिन/1 वीघा 8 विस्वा 419मिन 1वीघा 5विस्वा का एकमात्र खातेदार पूरन वल्द कन्हैया दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर का खाता संख्या भी पृथक रूप से दर्ज है एवं हाल खसरा नम्बर 661/0. 23 जोकि साविक खसरा नम्बर 418मिन/2वीघा 19 विस्वा से बना है। उसके खातेदार के रूप में पूरन पुत्र कन्हैया निस्फ रामस्वरूप पुत्र नन्दन निस्फ एवं पृथक खाता संख्या पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रदर्श–7, भू–प्रबंध मिलस हकीयत सम्बत 2040 एवं प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्बत 2044 से 2047 तक उक्त इन्द्राज प्रविष्टियॉ साविक रिकार्ड के अनुसार सही दर्ज होती रही है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हाल खसरा नम्बर 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 का एक मात्र खातेदार पूरन वल्द कन्हैया दर्ज है। जो वादीगण का पूर्वज है जो सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार है। प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 661/0.23 में पूरन वल्द कन्हैया रामस्वरूप वल्द नन्दन निस्फ हिस्से के खातेदार दर्ज है। जिसके 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पूर्वज का है, दोनों के खाता संख्या भी अलग अलग है।

राजस्व कार्मिकों के द्वारा जमाबन्दी सम्बत 2048 से 2051 बनाते समय दोनों खाता संख्याओं में पूरन पुत्र कन्हैया,रामस्वरूप पुत्र नन्दन को बरावर हिस्से का खातेदार दर्ज कर दिया जिसमें खाता संख्या 75 की प्रविष्टियां तो सही है। खाता संख्या 76 पर खसरा नम्बर 53, 415, 666, 671 में रामस्वरूप पुत्र नन्दन को भी पूरन के साथ खातेदार दर्ज कर दिया जबकि उक्त खसरा नम्बरान का एक मात्र खातेदार पूरन पुत्र कन्हैया था। बाद की जमाबन्दियों में भी उक्त गलत इन्द्राज के अनुसार प्रविष्टियां होती रही है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया प्रतिवादी संख्या 5 राज.सरकार के विरूद्व दावा दायरी से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस नहीं दिया गया है इसलिए दावा काबिले खारिजी है?

सी.पी.सी. की धारा 80(1) सूचना सरकार के विरूद्व या ऐसे कार्य की बावत जिसके बारे में यह तात्पर्मित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है,लोक अधिकारी के विरूद्व कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाऐगा जब तक वाद हेतुक का वादी के नाम,वर्णन और निवास स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका कथन करने वाली लिखित सूचना–

(क)केन्द्रीय सरकार के विरूद्व वाद की दशा में उस सरकार के सचिव को किया गया

(ख)केन्द्रीय सरकार के विरूद्व वाद की दशा में जहॉ वह रेलसे संम्बन्धित है। उस रेल के प्रधान प्रबंधक को

(ख ख)जम्मू–कश्मीर राज्य की सरकार के विरूद्व वाद की दशा में उस सरकार के मुख्य सचिव को या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को,

(ग)किसी अन्य राज्य सरकार के विरूद्व वाद की दशा में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलक्टर को,

परिदत्त किये जाने या उसके कार्यालय में छोडे जाने के और लोक अधिकारी की दशा में उसे परिदत्त किये जाने या उसके कार्यालय में छोडे जाने के पश्चात दो मास का अवसान न हो गया हो और वादपत्र में यह कथन अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना ऐसे परिदत्त कर दी गई है या छोडी गई है। धारा 80(2) सरकार के विरूद्व या ऐसे कार्य की बावत जिसके वारे में यह तात्पर्मित है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है,लोक अधिकारी के विरूद्व कोई अत्यावश्यक या तुरन्त अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तो वादपत्र को वापिस कर देगा कि उसे उपधारा (1)की अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाऐ–

वादीगण द्वारा वादपत्र में सरकार के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा है,प्रस्तुत वाद सरकार के विरूद्व वाद नहीं है। दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–3, दादरसी?

उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

ऐसी स्थिति में हम वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट, दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 53/0.19, 415/0.44, 666/0.19, 671/0.29 वाके ग्राम डभारा तहसील डीग बावत सम्पूर्ण हिस्से पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दर्ज इन्द्राज रामस्वरूप पुत्र नन्दन प्रति0 संख्या 1 व 2 तथा परबाबा एवं ददिया ससुर प्रति0 संख्या 3 व 4 के हिस्सा 1/2 को कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.